न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा(राजस्थान)

- पीठासीन अधिकारी :— रोज़ी कंसारा, आर.जे.एस.
- नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या :— 652/2024
- सीआईएस नंबर :— 1011/2024
- एफआईआर नंबर :— 56/2024
- पुलिस थाना :— कल्याणपुर
- सीएनआर नंबर :— RJBA020022212024

राजस्थान राज्य **—अभियोगी**

बनाम

लक्ष्मणराम पुत्र कानाराम निवासी शोभावतों की ढाणी, पाल रोड पुथा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।

—अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 406 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज. राज्य।
2. श्री करणसिंह चारण, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त की ओर से।

—:प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:—

अपराध की तिथि	28.03.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	29.06.2024
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	01.10.2024
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	01.10.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	09.07.2026
निर्णय की तिथि	09.07.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	—

निर्णय **दिनांक :— 09.07.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सोमती पुत्री हड़मानराम का विवाह लक्ष्मणराम पुत्र कानाराम निवासी शोभावतों की ढाणी पाल रोड जोधपुर के साथ दिनांक 28.03.2018 को उसके पैतृक गांव कल्याणपुर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी।

उसके पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज में उसे सोने का आधा तोला कानों की जोड़ आधा तोला गले का पेंडल, लक्ष्मणराम को आधा तोला सोने की अंगूठी, दो जोड़ी लूंग, नाक की दो फिणी, चांदी का कंदोरा, चांदी के छड़ों की दो जोड़ी जिसमें एक 15 तोला व दूसरी 13 तोला तथा घर बिक्री का संपूर्ण सामान, बर्तन, बिस्तर व शादी में आये हुए अन्य उपहार व रोकड़ रूपये व ओढा मणिया उसके पिता ने उसे दी तथा उसे खुशी खुशी विदा किया। शादी के बाद जब वह उसके ससुराल पाल रोड जोधपुर गई तो उसके पति लक्ष्मणराम, सासु किशनी देवी पत्नी कानाराम, ससुर कानाराम पुत्र प्रहलाद राम जेठ दोलतराम पुत्र कानाराम, नंनद तारा देवी पत्नी रमेश कुमार निवासी 5 वी रोड जोधपुर वगैरा ने उसका स्वागत उसके ससुराल में नयी नवेली दुल्हन की तरह नहीं किया तथा दहेज को देख कर नाक भी सिकोड़ी तथा कहा कि यदि उन्हें पहले पता चलता कि दहेज में इतना कम माल मिलेगा तो लक्ष्मणराम का विवाह दूसरी जगह कर देते तथा ससुराल में जाते ही उसके साथ मारपीट व गाली गलौज कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह सब कुछ सहन करती रही व इस बात की भनक उसके पीहर पक्ष को भी नहीं होने दी। उसकी सास, ससुर व नंनद उसके पति लक्ष्मणराम को कहते कि जब तक ये दहेज में माल नहीं लावे तब तक बच्चा मत होने देना इसी दरमियां उसके दांपत्य जीवन से उसके एक पुत्र का जन्म हुआ जो 04 वर्ष का है। उसकी नंनद भी अपने ससुराल में नहीं रहती है तथा पाल रोड जोधपुर में ही निवास करती है। हर वक्त ताने देती है की उन्हें गवार भाभी मिल गई उन्हें पढ़ी लिखी भाभी चाहिए तुम तो गवार की तरह रहती हो, तुमने कभी ऐसी रसोई ऐसा मकान कभी पीहर में देखा था इस प्रकार के ताने देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। उपरोक्त सभी ने उसके साथ कई बार मारपीट की तथा 12 माह पूर्व उसके साथ सभी ने बुरी तरह से मारपीट कर उसे पहने हुए कपड़ों में उसका सारा स्त्रीधन दहेज का सामान छिन कर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया तब वह रोते बिलखते अपने नजदीकी पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पहुंची तथा सारी बातचीत पुलिस वालों को बताई और रिपोर्ट भी दी। समझाइश होने के बाद उसे पुनः ससुराल भेजा, मगर कुछ समय बाद मुलजिमान का व्यवहार पूर्व की भांति हो गया तथा और ज्यादा उग्र हो गया तथा उसे फिर से मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा धमकी दी कि अब दहेज के लिए पैसे हो तो ही आना वरना वापिस ससुराल आने की जरूरत नहीं है व उसे तलाक दे देंगे वरना दहेज के 02 लाख रूपये लेकर आ जाना। मुलजिमान को उसके पिता ने कहा कि वे 50 हजार रूपये तक आपको दे सकते है इससे ज्यादा आर्थिक हैसियत उनकी नहीं है। इससे अभी कुछ दिनों पूर्व उसके पुत्र रोनी तो ताने आई तो उसने उसके पति को फोन करके बुलाया व

इलाज के लिए पैसे मांगे तो उसके पति ने कहा कि तुम तुम्हारे पिता से इलाज के पैसे लेकर यहां आ जाओ वर्ना दुबारा फोन मत करना उसके बाद फिर मुलजिमान का फोन आया कि अब वे उसे तलाक दे देंगे वर्ना दहेज के रूपये लेकर आ जाना.....इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस कल्याणपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2024 अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, भारतीय दंड संहिता में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाने से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.10.2024 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. प्रकरण में अभियुक्त लक्ष्मणराम को दिनांक 01.10.2024 को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर परिवादीया सोमती ने अपराध अन्तर्गत धारा 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा बाबत् प्रार्थना पत्र व धारा 406 भारतीय दंड संहिता में राजीनामा पेश करने की स्वीकृति बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2026 को प्रस्तुत किया। राजीनामा पेश करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राजीनामा अन्तर्गत धारा 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 07.07.2026 को पृथक से तस्दीक कर अभियुक्त को धारा 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया गया। बाद राजीनामा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का विचारण शेष रहा।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह पेश किये गये–

क्रम संख्या	गवाह का नाम	पीडब्ल्यू
1	सोमती	पीडब्ल्यू 01
2	भीमाराम	पीडब्ल्यू 02
3	राकेश	पीडब्ल्यू 03
4	हड़मानराम	पीडब्ल्यू 04
5	सुकादेवी	पीडब्ल्यू 05
6	डूंगरराम	पीडब्ल्यू 06

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये–

क्रम संख्या	प्रदर्श पी	दस्तावेज का नाम

1	प्रदर्श पी 01	टाईपशुदा रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 02	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी 03	राजीनामा बाबत प्रार्थना पत्र
4	प्रदर्श पी 04	पुलिस बयान सोमती
5	प्रदर्श पी 05	पुलिस बयान हड़मानराम
6	प्रदर्श पी 06	पुलिस बयान सुकादेवी
7	प्रदर्श पी 07	पुलिस बयान डूंगरराम

7. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के पृथक से किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के कथनों को गलत होना बताकर स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही।

8. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.06.2024 से पूर्व किसी रोज किसी समय सरहद मौजा शोभावतों की ढाणी पाल रोड, जोधपुर में परिवादिनी श्रीमती सोमती को दहेज हेतु तंग व परेशान कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?

2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ?

9. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है इसलिए अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

10. सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

11. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पीडब्ल्यू 01 सोमती** ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि उसका विवाह दिनांक 28.03.2018 को लक्ष्मणराम के साथ कल्याणपुर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के समय उसके पिता द्वारा सोने, चांदी के आभूषण व अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। विवाह के कुछ समय बाद तक तो उसके पति लक्ष्मणराम का

व्यवहार उसके प्रति सही रहा लेकिन इसके कुछ समय पश्चात् लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन से उसकी आपसी बोलचाल हो गई थी। लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन द्वारा उससे कोई दहेज की मांग नहीं की गई एवं न ही इस बाबत उसके साथ में कोई मारपीट की गई थी। उनके बीच आपसी बोलचाल के कारण आवेश में आकर उसने लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन के विरूद्ध पुलिस थाना कल्याणपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो प्रदर्श पी 01 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके रूबरू घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब नहीं किया, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर है। लक्ष्मणराम के साथ उसका राजीनामा हो गया है, जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। वह लक्ष्मणराम के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करना चाहती है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करती है कि यह कहना गलत है कि उसके पति लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन ने उसका विवाह होते ही कम दहेज लेकर आने बाबत मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो। गवाह ने अस्वीकार करते हुए कथन किया कि लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन वाले उससे दहेज की मांग करते हो एवं इस बाबत लक्ष्मणराम द्वारा उसके साथ में मारपीट की गई हो। उसके पुलिस में बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 04 है। पुलिस बयान का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान नहीं दिए जाना जाहिर किया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि उसके पति लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन ने दहेज की कोई मांग नही की थी। उसके व लक्ष्मणराम के आपसी सहमति से तलाक हो रखा है। उसने लक्ष्मणराम ने स्थायी एक मुश्त आजीवन भरण पोषण की राशि 3,00,000/– रूपये प्राप्त कर ली है। उसका पुत्र रोनित जो उसके पास है और उसके पास ही रहेगा।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–2 भीमाराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके रूबरू घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब नहीं किया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर उसके अंगूठा निशानी है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 06.07.2024 को पुलिस मौके पर आई हो और उसके रूबरू घ टनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया हो। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। प्रदर्श पी 02 पर क्या लिखा है, उसे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस थाना कल्याणपुर में कोरे कागज पर उसके अंगूठा निशान करवाये हैं।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–3 राकेश** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके रूबरू घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब नहीं किया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 06.07.2024 को पुलिस मौके पर आई हो और उसके रूबरू घ टनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया हो। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। प्रदर्श पी 02 पर क्या लिखा है, उसे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस थाना कल्याणपुर में कोरे कागज पर उसके अंगूठा निशान करवाये हैं।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–4 हड़मानराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि साक्ष्य से करीब 08 साल पहले उसकी पुत्री सोमती का विवाह लक्ष्मणराम के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात हमारे द्वारा पुत्री सोमती को सोने, चांदी के आभूषण व अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। विवाह के कुछ समय बाद तक तो उसकी पुत्री सोमती का विवाहित जीवन सही चला। उसके बाद उसकी पुत्री सोमती से लक्ष्मणराम के बीच आपसी बोलचाल हो गई थी, जिस पर आवेश में आकर सोमती ने लक्ष्मणराम व इनके परिवारजन के विरूद्ध पुलिस थाना कल्याणपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी पुत्री सोमती से लक्ष्मणराम एवं उनके परिवारजन द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी एवं इस बाबत उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। उसकी पुत्री सोमती का उसके पति लक्ष्मणराम से राजीनामा हो गया है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री सोमती के साथ में लक्ष्मणराम एवं उनके परिवारजन ने दहेज की मांग की थी। उसके पुलिस बयान हुए जो प्रदर्श पी 05 है, जिस पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान नहीं दिये जाना जाहिर किया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि उसने लक्ष्मणराम व उसके परिवारवालों को सोमती के साथ दहेज के लिए मारपीट करते नहीं देखा।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–5 सुकादेवी** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि साक्ष्य से करीब 08 साल पहले उसकी पुत्री सोमती का विवाह लक्ष्मणराम के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात उनके द्वारा पुत्री सोमती को सोने, चांदी के आभूषण व अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। विवाह के कुछ समय बाद तक तो उसकी पुत्री सोमती का विवाहित जीवन सही चला। उसके बाद उसकी पुत्री सोमती से

लक्ष्मणराम के बीच आपसी बोलचाल हो गई थी, जिस पर आवेश में आकर सोमती ने लक्ष्मणराम व इनके परिवारजन के विरूद्ध पुलिस थाना कल्याणपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी पुत्री सोमती से लक्ष्मणराम एवं उनके परिवारजन द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी एवं इस बाबत उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। उसकी पुत्री सोमती का उसके पति लक्ष्मणराम से राजीनामा हो गया है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री सोमती के साथ में लक्ष्मणराम एवं उनके परिवारजन ने दहेज की मांग की थी। उसके पुलिस बयान हुए जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान नहीं दिये जाना जाहिर किया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि लक्ष्मणराम व उसके परिवारवालों को सोमती के साथ दहेज के लिए मारपीट करते नहीं देखा।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–6 डूंगरराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि साक्ष्य से करीब 08 साल पहले उसकी भांजी सोमती का विवाह लक्ष्मणराम के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात उनके द्वारा भांजी सोमती को सोने, चांदी के आभूषण व अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। विवाह के कुछ समय बाद तक तो उसकी भांजी सोमती का विवाहित जीवन सही चला। उसके बाद उसकी भांजी सोमती से लक्ष्मणराम के बीच आपसी बोलचाल हो गई थी, जिस पर आवेश में आकर सोमती ने लक्ष्मणराम व इनके परिवारजन के विरूद्ध पुलिस थाना कल्याणपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी भांजी सोमती से लक्ष्मणराम एवं उनके परिवारजन द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी एवं इस बाबत उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। उसकी भांजी सोमती का उसके पति लक्ष्मणराम से राजीनामा हो गया है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि उसकी भांजी सोमती के साथ में लक्ष्मणराम एवं उनके परिवारजन ने दहेज की मांग की थी। उसके पुलिस बयान हुए जो प्रदर्श पी 07 है, जिस पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान नहीं दिये जाना जाहिर किया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि लक्ष्मणराम व उसके परिवारवालों को सोमती के साथ दहेज के लिए मारपीट करते नहीं देखा।

17. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में समग्र रूप से बहस अंतिम सुनने के पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाह को परीक्षित

करवाया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम परिवादिया सोमती पी डब्ल्यू 01 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादिया अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि उसके विवाह के पश्चात् उसका पति लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन से आपसी बोलचाल हो गई थी। लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन द्वारा उससे कोई दहेज की मांग नहीं की गई और न ही इस बाबत् उसके साथ कोई मारपीट की गई थी। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह पुनः उसके पति लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन वालों द्वारा दहेज की मांग किये जाने की बात को गलत होना बताती है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में भी गवाह कथन करती है कि उसके पति लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन ने उससे दहेज की कोई मांग नहीं की थी। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादिया के पिता हड़मानराम पीडब्ल्यू 04 व परिवादी की माता सुका देवी पीडब्ल्यू 05 व परिवादिया के मामा डूंगरराम पीडब्ल्यू 06 द्वारा अपनी साक्ष्य में समान रूप से कथन किया गया है कि सोमती व लक्ष्मणराम के बीच आपसी बोलचाल हो गई थी, जिस पर आवेश में आकर सोमती ने लक्ष्मणराम व उसके परिवारजन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सोमती से लक्ष्मणराम एवं उसके परिवारजन द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी एवं इस बाबत उसके साथ कोई मारपीट भी नहीं की गई थी। उक्त समस्त गवाहों को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त गवाहों द्वारा उनके पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 05, प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07 भी पुलिस में दिये जाने से इंकार किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाहों द्वारा पुनः दोहराया गया है कि उन्होंने लक्ष्मणराम व उसके परिवार के लोगों को सोमती के साथ दहेज के लिए मारपीट करते नहीं देखा है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त गवाहों की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई साक्ष्य निकलकर नहीं आई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 02 भीमाराम व पीडब्ल्यू 03 राकेश को परीक्षित करवाया गया है जो प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 के गवाह है। उक्त गवाह भी सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह समान रूप से कथन करते हैं कि प्रदर्श पी 02 पर क्या लिखा है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस थाना कल्याणपुर में कोरे कागज पर उनके अंगुठा निशानी करवाई थी।

18. लिहाजा उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की संपुष्टि नहीं होने से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। हस्तगत मामले में पत्रावली पर ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा

सके। आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है और इसमें यदि लेशमात्र भी संदेह होता है तो इसका फायदा अभियुक्त को जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित अपराध कि **''अभियुक्त ने दिनांक 29.06.2024 से पूर्व किसी रोज किसी समय सरहद मौजा शोभावतों की ढाणी पाल रोड, जोधपुर में परिवादिनी श्रीमती सोमती को दहेज हेतु तंग व परेशान कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया,''** पत्रावली पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से संदेह से परे सिद्ध कर पाने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त लक्ष्मणराम अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

19. अतः अभियुक्त **लक्ष्मणराम पुत्र कानाराम निवासी शोभावतों की ढाणी, पाल रोड पुथा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर** को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में दिनांक 07.07.2026 को अभियुक्त लक्ष्मणराम को अपराध अंतर्गत धारा 323, 406 भारतीय दण्ड संहिता में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

21. अभियुक्त धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए 10,000 / – रूपये अक्षरे दस हजार रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलके इस आशय का न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे कि जब कभी उसे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जावेगा, तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जायें।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा

22. निर्णय आज दिनांक **09.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा